पीठासीन अधिकारी:– मूलचंद, आरएएस

अपील संख्या 2008/00126 (40/2008) 225 आर टी ए

बनवारीलाल पुत्र लेखराम जाति बिश्नोई निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

–अपीलान्ट

बनाम

1. स्तकुमार पुत्र गंगाबिशन जाति बिश्नोई निवासी संगरिया तहसील संगरिया
2. उप पंजीयक संगरिया

–––रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 22.07.2008 न्यायालय सहायक कलक्टर संगरिया प्रकरण संख्या 25/2007 बअनवानी संतकुमार बनाम बनवारीलाल

उपस्थितः–
श्री दिनेश कुमार शर्मा अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री प्रद्युमन परमार अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस

निर्णय

दिनांक 04.04.2019

1. प्रकरण के सारगर्भित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 23, 188, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत पेश किये, जिसके साथ धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना–पत्र पेश किया। प्रार्थना–पत्र में चक 2 एमजेडी, 3 आरटीपी, 4 आरटीपी, 12 एसबीएस, व 4 एनटीडब्ल्यू की भूमि के लिए अप्रार्थी/अपीलाण्ट विरूद्ध अन्य व्यक्तियों को रहन, बैय एवं हस्तान्तरण का अनुतोष मांगा। अप्रार्थी/अपीलाण्ट ने काउण्टर क्लेम पेश किया।अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 22.07.2008 के द्वारा प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में वाद विचाराधीन है। अपीलाण्ट ने काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया था कि प्रश्नगत भूमि में अपीलाण्ट का 4.202 हिस्सा है। प्रश्नगत भूमि अपीलाण्ट ने रेस्पोडेण्ट जो अपीलाण्ट का सगा भतीजा है को ठेके पर दे रखी है। रेस्पोडेण्ट ने काउण्टर क्लेम मांगा और कहा कि बंटवारा नही हुआ है, जो 9 बीघा भूमि रेस्पोडेण्ट सं. 1 ने बेची वह सभी संयुक्त परिवार द्वारा बेचान मानते हुए विभाजन किया जाना चाहिए। जबाबुल जवाब में अपीलाण्ट ने 9 बीघा भूमि का बेचान रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा बेचने का अंकन किया है। रेस्पोडेण्ट ने अन्य चकों में भी भूमि होना अंकित किया है । आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र द्वारा वाद खारिज कर दिया । आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के आदेश के विरूद्ध

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

इस न्यायायल द्वारा तनकीवार निर्णय हेतु प्रकरण रिमाण्ड किया गया। रेस्पोडेण्ट ने काउण्टर क्लेम के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र पेश कर अन्य सभी चकों की जमीन पर स्थगन अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त किया है जिसकी यह अपील है। अतः अपीलाण्ट के हिस्से तक स्थगन खारिज किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया किया अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अधीनस्थ न्यायालय में वाद संयुक्त खाते की भूमि से संम्बन्धित है, जिसमें खाता विभाजन का वाद जैरकार है। दौराने वाद विभाजन से पूर्व प्रश्नगत भूमि को रहन, बैय, अन्तरण किया जाना उचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायायल ने सिर्फ एक पक्ष को पाबन्द किया है। यह भी उचित नहीं है। पक्षकारान के मध्य ये विवाद है कि वादग्रस्त भूमि में से जो भूमि का बेचान हुआ है, किस पक्ष द्वारा बेचान किया गया है, यह दावे में साक्ष्यों के परीक्षण के आधार पर निर्धारण किया जावेगा, किन्तु दौराने वाद वादग्रस्त भूमि का बेचान किसी भी पक्ष द्वारा किया जाता है तो वाद की बहुलता बढेगी। अतः अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.08.2007 में आंशिक संशोधन करते हुए दोनों पक्षों को पाबंद किया जाता है कि वाद के विभाजन के निर्णय तक वादग्रस्त भूमि को रहन, बैय व अन्तरित नहीं करें। अधिनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.04.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

04/4/19

(मूल चंद) आर. ए. एस.
राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official